लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
053/2022 (GCMS 2022/260)	17.08.2022	07.09.2022

अनवान

गजेन्द्र कुमार पिता देवकिशन गौड़ निवासी आकोला छीपों का, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./053/2022(सू.अ.)(07.09.2022)/658 दिनांक 17.08.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 07.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 07.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः–रीडर/लोसूआ/2022/80 दिनांक 06.09.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी गजेन्द्र कुमार गौड़ पिता देवकिशन गौड़ निवासी छीपों का आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यालय में दिनांक 08.07.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/लोसूआ/2022/73 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा प्रार्थी आवेदक को भिजवाया गया, जिसमें पत्र प्रेषक पंजिका (LETTER DESPATCH REGISTER) दिनांक 10.04.2022 से 30.06.2022 तक पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रति तथा "पोस्टेज रजिस्टर" (डाक टिकिट पंजिका) दिनांक 10.04.2022 से 30.06.2022 तक पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रति की सूचना प्रार्थी को भिजवा दी गयी हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः–रीडर/लोसूआ/2022/80 दिनांक 06.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार तैयार कर अपने पत्रांक रीडर/लोसूआ/2022/73 दिनांक 05.08.2022 से अपीलार्थी को भिजवा दी गयी हैं। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/कमेण्ट्स एवं उनके सलंग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उसको उपलब्ध करा दी गयी है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
07.09.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official